उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-113/2017/830/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 13 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2016-17 मे चयनित डा0 राम मनोहर लाहिया समग्र ग्राम चन्दपुर गोविन्दपुर ब्लाक-शिवगढ़ जामतली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 26.05.2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 53,673.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री पी0के0 मिश्रा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-113/2017/830(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-जी-23/एस0टी0-सी0टी0ई0/2795-110/02/2016-17, दिनांक 26-05-2017 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- श्री पी0के0 मिश्रा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in